ALL INDIA POWER ENGINEERS FEDERATION

(REGISTERED UNDER SOCITIES ACT XXI of 1860), Regd. No. 24085/93
REGD HEAD OFFICE B-1A/45A, Janakpuri, New-Delhi-10058
Corres. Address of CHAIRMAN-Hydel Field Hostel, 17 Rana Pratap MargLucknow-226001
M: 09415006225 Phone : 0522-4107706(Off), FAX:0522-2205417/0522-4079628
Email : ersdubey@yahoo.com/: ersdubeylko@gmail.com & chairmanaipef@gmail.com

No.08/SDSTPS Privatization 12-02-2022

(अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद)

माननीय मुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेश सरकार,
ब्लॉक नंबर 1, एपी
सचिवालय,
वेलागपुडी, अमरावती, गुंटूर-522237

विषय: एनसीसीओईईई - आंध्र प्रदेश - एपीपीडीसीएल/एपीजेनको - एसडीएसटीपीएस स्टेज- I (2x800 MW) और स्टेज- II (1x800 MW) - "बोली के आधार पर सक्षम अन्य कंपनियों को 25 वर्षों के लिए परियोजना की संपत्ति के हस्तांतरण के साथ-साथ संचालन और रखरखाव को सौंपने" के लिए कैबिनेट निर्णय - कैबिनेट को वापस लेने का अनुरोध निर्णय - पंजीकृत ।

संदर्भ:
1. डी.ओ.Lr.No.08/CM-Addl.Secy/2021, दिनांक 06-02-2021।
2. डी.ओ.Lr.No.08/CM-Addl.Secy/2021, दिनांक 09-03-2021।
3. सरकार। 21-जनवरी-2022 को एपी कैबिनेट के फैसले का।
4. एपीएसपीई जेएसी की आंदोलन सूचना, दिनांक 28.01.2022।

आदरणीय महोदय,

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले सभी पावर इंजीनियर्स का नेशनल फेडरेशन है। AIPEF राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बिजली उपयोगिताओं में निजीकरण के कदमों का कड़ा विरोध कर रहा है।

2. हमने आपके अच्छे स्वभाव के बारे में सुना है कि संदर्भ 1 और 2 में, आपके सक्षम नेतृत्व में एपी सरकार ने 100% हिस्सेदारी विनिवेश के माध्यम से विशाखापट्टनम

स्टील प्लांट (आरआईएनएल) के निजीकरण के केंद्र सरकार के कदम का विरोध करने का एक सर्वसम्मत निर्णय लिया है। और यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ पार्टी के सभी प्रतिनिधिमंडलों को दिल्ली पहुंचाने और **"विशाखा उक्कू-आंधूला हक्कू"** को बढ़ावा देने जैसे सक्रिय कदम उठाए।

3. यह पता चला है कि एपी सरकार की कैबिनेट ने संदर्भ (3) के संदर्भ में एक निर्णय लिया है, "श्री दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- I (2x800 मेगावाट) और स्टेज के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) को सौंपने के लिए" -II (1x800 मेगावाट) 25 वर्षों के लिए अन्य सक्षम कंपनियों को संपत्ति के हस्तांतरण के साथ-साथ आसन्न निजी बिजली परियोजना (टीपीसीएल) की परिवर्तनीय लागत की तुलना करके और घाटे को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वर्तमान में, SDSTPS आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (APPDCL) के नियंत्रण में है और APPDCL APGENCO की सहायक कंपनी है। स्टेज- I इकाइयाँ (2x800 .) एसडीएसटीपीएस की मेगावाट) पिछले 7 वर्षों से प्रचालन में हैं और एसडीएसटीपीएस की तीसरी इकाई वाणिज्यिक संचालन की घोषणा के लिए तैयार है। इस समय, एसडीएसटीपीएस के ओएंडएम को तीसरे पक्ष को संपत्ति के हस्तांतरण के साथ सौंपना, ऐसा लगता है कि एपीपीडीसीएल / एपीजेनको की परियोजना का निजीकरण विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के आपके पहले के कार्यों में व्यक्त एपी सरकार की भावना के विपरीत है।

4. कैबिनेट ने कहा है कि एसडीएसटीपीएस की परिवर्तनीय लागत 3.14 रुपये/किलोवाट घंटा है, जो आसन्न निजी बिजली संयंत्र (टीपीसीएल) की परिवर्तनीय लागत 2.34 रुपये/केडब्ल्यूएच की तुलना में अधिक है। लेकिन, इस प्रकार की तुलना बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि सीईआरसी विनियमों में निम्नलिखित प्रावधान के साथ प्रतिस्पर्धात्मक केस -1 बोली द्वारा अधिकांश आईपीपी डीबीएफओओ मोड के अंतर्गत आते हैं।

डीबीएफओओ प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए सीईआरसी विनियमन में कहा गया है कि "परियोजना के लिए बोली में निश्चित शुल्क और ईंधन शुल्क शामिल होगा, जिसे अलग से निर्दिष्ट किया जाएगा, और सबसे कम टैरिफ की मांग करने वाला बोलीदाता चयनित बोलीदाता होगा। बेस फिक्स चार्ज टैरिफ के 70% से अधिक नहीं होगा और बेस फ्यूल चार्ज टैरिफ के 50% से अधिक नहीं होगा।

डीबीएफओओ के लिए सीईआरसी विनियमन के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली लगाने वाले जनरेटर अपनी कुल प्रति यूनिट लागत का 70% तक की निश्चित लागत दिखा सकते हैं और वे अपनी प्रति यूनिट लागत का 50% तक अधिकतम परिवर्तनीय लागत दिखा सकते हैं। जबकि एसडीएसटीपीएस, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 (ए) और धारा 64 (3) के अनुसार, माननीय एपीईआरसी ने 10761.40 करोड़ रुपये की परियोजना लागत निर्धारित की और सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014 के अनुसार ओ एंड एम लागत/मेगावाट को मंजूरी दी- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निश्चित शुल्क और स्वीकृत अनंतिम परिवर्तनीय लागत रुपये 3.14 / kWh तय करने के लिए 19। तदनुसार, 85% पीएलएफ पर एसडीएसटीपीएस की निश्चित लागत 1.50 रुपये/किलोवाट घंटा होगी, जिससे कुल इकाई लागत 4.64 रुपये/केडब्ल्यूएच (3.14+1.50 रुपये) होगी। लेकिन, वित्त वर्ष 2021-22 में 2.90/kWh की औसत परिवर्तनीय लागत पर विचार करते हुए, वास्तविक कुल इकाई लागत @ 85% पीएलएफ 4.40 / kWh (2.90 + 1.50 रुपये) होगी। ***इसे डीबीएफओओ प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के सीईआरसी विनियमन के साथ 2.20 रुपये/केडब्ल्यूएच की निश्चित लागत और 2.20 रुपये/केडब्ल्यूएच की परिवर्तनीय लागत के रूप में दिखाया जा सकता है।***

5. इसलिए, अलग-अलग विनियमों के साथ निर्धारित दो अलग-अलग टैरिफ की तुलना करना सही नहीं है। एलसी तंत्र (अग्रिम भुगतान तंत्र), कम शेड्यूलिंग (बैंकिंग डाउन) परिवर्तनीय लागत को प्रभावित करेगा और परिवर्तनीय लागत भी डिज़ाइन किए गए मापदंडों के आधार पर जनरेटर से जनरेटर में भिन्न होगी। वर्तमान में एसडीएसटीपीएस के लिए कोई एलसी तंत्र नहीं है। इसलिए, यदि एसडीएसटीपीएस के लिए एलसी तंत्र की व्यवस्था की जाती है, तो पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने के द्वारा परिवर्तनीय लागत को कम किया जा सकता है और आवश्यक मानक उपलब्धता को बनाए रखते हुए इकाइयों को बिना किसी नुकसान के चलाएगा।

6. जहां तक लगभग 6000 करोड़ रुपये (परियोजना लागत में नुकसान सहित) के संचित नुकसान का संबंध है, 3000 करोड़ रुपये का नुकसान निश्चित अवधि तक लंबित भुगतानों के कारण होता है और फिर पीपीए और शेष राशि के अनुसार APDISCOMs से भुगतान भी निर्धारित समय में नहीं किया जाता है और परियोजना

के पूरा होने में देरी के कारण 3000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। हालांकि, संचित नुकसान को मौजूदा मैन मेगावाट अनुपात को जारी रखने, इक्विटी में लाभ के साथ और 90% के बजाय 100% स्थापित क्षमता के लिए पीपीए में प्रवेश करके भी पूरा किया जा सकता है।

7. इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि राज्य के स्वामित्व वाले थर्मल जनरेटर केवल 1 से 2 समय ब्लॉक के भीतर राज्य ग्रिड को स्थिर करने में सहयोग कर रहे हैं। जबकि सीजीएस और आईपीपी 6 टाइम ब्लॉक ले रहे हैं। इसलिए, आंध्र प्रदेश राज्य के स्वामित्व वाली थर्मल स्थापित क्षमता 6610 मेगावाट (सेवा में 5010 मेगावाट और कमीशन के लिए तैयार 1600 मेगावाट) केवल एपीजेनको / एपीपीडीसीएल के पास होनी चाहिए। अन्यथा राज्य के बिजली क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों का प्रभाव बढ़ेगा और राज्य के कल्याण पर प्रभाव पड़ेगा।

8. इसके अलावा यह पता चला है कि एपी ऊर्जा विभाग के अधिकारी कई पहलुओं में आप**को** गुमराह कर रहे हैं जैसे बाजार बिजली खरीद की अधिक निर्भरता, एपीजीईएनसीओ इकाइयों के बैक डाउन/आरएसडी और बाजारों में उच्च लागत बिजली की खरीद और कर्मचारियों के प्रति कई अमानवीय रवैया जैसे ब्रिटिश शासन, बिजली कर्मचारियों पर झूठे पुलिस और डीसी मामले दर्ज करना, एपीजेनको कर्मचारियों के वेतन को जानबूझकर रोकना, एपीट्रानस्को में पदोन्नति और एसजीपी वेतन वृद्धि को जानबूझकर रोकना, पदाधिकारियों का जबरन स्थानांतरण, यूनियनों / संघों को विशेषाधिकार वापस लेना, पिछले डेढ़ साल से CMD/APTRANSCO द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों **की** नियुक्ति से **इंकार** करना।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बोली के आधार पर अन्य कंपनियों को 25 वर्षों के लिए एसडीएसटीपीएस की संपत्ति के हस्तांतरण के साथ-साथ संचालन और रखरखाव को सौंपने के कैबिनेट के फैसले को वापस लें और कर्मचारियों पर किसी भी सक्रिय / उत्तेजक कदम को वापस लेने का अनुरोध करें। एपी पावर सेक्टर में इंजीनियरों पर ऐसे कदमों को एआईपीईएफ द्वारा गंभीरता से देखा जाएगा और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को बुलाया जाएगा।

धन्यवाद,

सादर

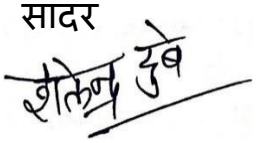

शैलेंद्र दुबे

अध्यक्ष

सीसी:

1. माननीय ऊर्जा मंत्री, एपी सरकार, अमरावती।

2. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती।

3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती।